झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या-02

तृतीय (मॉनसून) सत्र
सोमवार, दिनांक-21 सितम्बर, 2020 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.47 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कतिपय माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ अपनी विभिन्न माँगों को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये। लेकिन, आसन के द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने पर वे पुनः अपने-अपने स्थान पर चले गये।

1.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री लम्बोदर महतो के कुरमाली भाषा-भाषी सम्बन्धी, माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी एवं माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज सम्बन्धी दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ी गईं तत्पश्चात् नियमानुकूल नहीं होने के कारण इन्हें अमान्य किया गया।

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की ने राँची के विभिन्न अंचलों में भूमि सम्बन्धी फर्जीवाड़े की जाँच एवं उसपर रोक लगाये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-34

(क) उत्तरित मात्र-01, अ० सू०-01 श्री सुदिव्य कुमार, स० वि० स०।

(ख) अनागत कुल-33, अ० सू०-02 से 34 तक।

भारी शोरगुल के कारण शेष प्रश्न नहीं लिये जा सके।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपनी पूर्व की माँगों को लेकर नारेबाजी करते हुए पुनः सदन की वेल में आ गये और सरकार से लैण्ड म्युटेशन बिल, सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज एवं भुखल घासी की मौत पर वक्तव्य की माँग करने लगे। इसके उपरांत आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट की गयी, परन्तु शोरगुल जारी रहने पर आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी।

इस क्रम में आसन की अनुमति से 'माननीय' मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा लैण्ड म्युटेशन बिल के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी तथा सहायक पुलिसकर्मियों के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या-5170, दिनांक-28.09.2016 से सदन को अवगत कराते हुए उसकी प्रति आसन को समर्पित की गयी जिसे आसन द्वारा विस्तार से पढ़ा गया।

इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह तथा माननीय सदस्य, श्री सुदेश कुमार महतो ने भी अपनी-अपनी बातें रखीं।

क्र० पृ०उ०

3.शून्यकाल:-

आसन से पुकारे जाने पर निम्नांकित , माननीय सदस्यों ने अपने द्वारा प्रस्तुत शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा-

श्री बंधु तिर्की,
श्री विरंची सुसारन होरो,
श्रीमती ममता देवी,
श्रीमती सीता सोरेन,
श्री उमाशंकर अकेला,
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,
श्री प्रदीप यादव,
श्री रामचन्द्र सिंह,
डॉ० इरफान अंसारी,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री रामदास सोरेन,
श्री सरयू राय,
श्री भूषण तिर्की एवं

श्री भूषण बाड़ा तत्पश्चात् आसन द्वारा शून्यकाल की शेष सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया तदुपरांत अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही **12.40 अप०** तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि राज्यसभा में कृषि सम्बन्धी पारित विधेयक किसान विरोधी है, अतएव सरकार इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करे।

4.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्या, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, परन्तु आसन द्वारा इसे दिनांक-22.09.2020 के लिए स्थगित किया गया।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य पूर्व के विषय को लेकर पुनः नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये।)

5. कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें:-

पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने दिनांक-18.09.2020 को सम्पन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुए निम्न निर्णयों से सदन को अवगत कराया-

i- मंगलवार, दिनांक-22.09.2020 को द्वितीय पाली में सदन में कोरोना महामारी पर वाद-विवाद के पश्चात् गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें ली जा सकेंगी,

ii- शेष कार्यक्रम यथावत् होंगे।

उक्त सिफारिशें ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुईं।

क्र०पृ०उ०

6. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- पुकारे जाने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में प्रभारी मंत्री (वित्त), डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष-2017-18 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा का सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों का प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष-2017-18 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा वित्त लेखे भाग-I,ii एवं विनियोग लेखे का प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष-2017-18 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा राज्य वित्त का प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष-2018-19 झारखण्ड राज्य लेखा परीक्षा वित्त लेखे भाग-I,iii एवं विनियोग लेखे का प्रतिवेदन, जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदया के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखा गया। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा जो विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होगा,

ii- पुकारे जाने पर प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य), श्री आलमगीर आलम द्वारा **Jharkhand Advocate's Clerks Welfare Fund Rules, 2020** की प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

iii- पुकारे जाने पर प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य), श्री आलमगीर आलम द्वारा झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के वित्तीय वर्ष-2017-18 एवं 2018-19 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

iv- पुकारे जाने पर प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य), श्री आलमगीर आलम द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2002 की धारा-14 के अधीन वित्तीय वर्ष-2018-19 अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

v- पुकारे जाने पर प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य), श्री आलमगीर आलम द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-244(2) के अधीन पंचम् झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट सत्र) में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

vi- पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अध्याय-06 की कण्डिका-38(7) के अधीन पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का 9वाँ प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया,

vii- पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-304(6) के तहत शून्यकाल की संकलित प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

7.वित्तीय कार्य:-

पुकारे जाने पर दिनांक-18.09.2020 को प्रस्तुत वित्तीय वर्ष-2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी पर माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

8.आसन से सूचना:-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय सदन नेता द्वारा लॉबी में आयोजित दोपहर के भोजन में सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहेंगे।

क्र०पृ०उ०

अन्तराल

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

9.वित्तीय कार्य(क्रमांक-7 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने चर्चा प्रारम्भ की तत्पश्चात् निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री सुदिव्य कुमार,
श्री भानु प्रताप शाही,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्री प्रदीप यादव,
श्री लम्बोदर महतो,
श्री अमित कुमार मण्डल एवं

श्री सरयू राय तदुपरांत सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त), डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा उत्तर दिया गया तत्पश्चात् अनुदानों की माँग संख्या-4 मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुई और शेष माँगें भी बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबन्द) द्वारा स्वीकृत हुईं। माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने कटौती का प्रस्ताव वापस लिया।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

10.विधायी कार्य:-

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2020:-

माननीय प्रभारी मंत्री (योजना सह वित्त), श्री रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-22.09.2020 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 21 सितम्बर, 2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।